

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

उब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-११३७ वर्ष २०१७

ब्रह्मदेव प्रसाद, पे० स्वर्गीय एन०के० प्रसाद, निवासी ग्राम—दुद्री, डाकघर एवं थाना—मुरहू  
जिला—खूंटी। ..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार, टेलीफोन भवन, डाकघर—धुर्वा, थाना—  
जगन्नाथपुर, जिला—राँची।
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूंटी, डाकघर, थाना एवं जिला—खूंटी।
4. सचिव/प्रधानाध्यापक, सेंट जेवियर हाई स्कूल, सरवादा, डाकघर एवं थाना—मुरहू  
जिला—खूंटी।

..... ..... उत्तरदातागण

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :— श्री एम०एम० पान, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :— ए०जी० के जे०सी०

02 / 27.02.2017 कहा जाता है कि याचिकाकर्ता 30.09.2016 को प्रतिवादी—सेंट जेवियर  
हाई स्कूल, सरवादा, मुरहू खूंटी से सहायक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था।  
याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि प्रश्नगत स्कूल एक गैर—सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक  
स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों

को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। याचिकाकर्ता को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता की शिकायत उसके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे का पहले प्रत्यर्थी—राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मुददा मरियम तिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०—५०६/२०१३ और ३ जनवरी, २०१४ के अनुरूप मामले जो २०१४ (१) जे०बी०सी०जे० ४६५ में रिपोर्ट किए गए हैं, के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मददेनजर सुलझा लिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या २०६०६—२०६०७/२०१४ में दिनांक १५.१२.२०१४ को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, विद्वान डिवीजन बैंच द्वारा पूर्वोक्त दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पुष्टि के मददेनजर रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता—राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर—सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुददा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।
5. पार्टीयों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं० ३ को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ता को उनके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।
6. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया०)